Bundelkhand Journal of Academic Research

उत्तर प्रदेश में सहकारी क्षेत्र के प्रदर्शन का अध्ययन

डॉ. गजेन्द्र सिंह 'मधुसूदन[1]' डॉ. अमित कुमार सिंह[2]

1. **असिस्टेंट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र),** गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्वी, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश।
2. **असिस्टेंट प्रोफेसर (समाजशास्त्र),** गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्वी, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश।

(**Corresponding Author:** gajendrashodh1988@gmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.21625748

सारांश

देश की सर्वाधिक आबादी वाला उत्तर प्रदेश भारत की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है, जिसका सकल राज्यीय घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक है और राष्ट्रीय जीडीपी में करीब 8 से 9 प्रतिशत का योगदान दे रहा है। यह पिछले कुछ वर्षों में 'एक्सप्रेसवे प्रदेश' के रूप में विकसित हुआ है। बेहतर कानून–व्यवस्था और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के कारण उत्तर प्रदेश निवेशकों का पसंदीदा गंतव्य बन गया है। फिलहाल यह 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है और इसकी प्राप्ति में सहकारी क्षेत्र की निर्णायक भूमिका हो सकती है, क्योंकि कृषि और एमएसएमई क्षेत्र प्रदेश में रोजगार के मुख्य चालक हैं। जबकि सहकारी क्षेत्र ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देकर, कृषि साख उपलब्ध कराकर और लघु उद्यमिता को सक्षम बनाकर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। सहकारी समितियां न केवल ऋण, खाद, बीज और कृषि रसायनों के वितरण को सुगम बनाती हैं, बल्कि कृषि संबंधी आवश्यक सामग्री, विपणन माध्यम और भंडारण सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये तीन स्तरीय साख संरचना के माध्यम से सुलभ और सुगम अल्पकालिक से मध्यम अवधि का वित्त प्रदान कर वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित कर रही हैं। सहकारिता ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त स्थानीय रोजगार सृजित करती हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था में सहकारिता की भूमिका के मद्देनजर और समावेशी विकास के अवसरों को बढ़ाने के लिए सहकारी क्षेत्र को पुनर्जीवित किया जाना आवश्यक है। इसलिए, प्रस्तुत शोध पत्र में उत्तर प्रदेश में सहकारी क्षेत्र के प्रदर्शन का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

आलेख सूचना			
	प्राप्त: 14 फरवरी, 2026	**स्वीकृत:** 27 फरवरी, 2026	**प्रकाशित:** 31 मार्च, 2026
	सारणी: 10	**चित्र एवं ग्राफ:** 00	**स्रोत एवं संदर्भ:** 16
	मुख्य शब्द:	सहकारी प्रबंधन, सहकारी साख, पैक्स, ग्रामीण विकास, स्थानीय रोजगार।	

1. परिचय एवं पृष्ठभूमि: उत्तर प्रदेश में सहकारिता की शुरुआत 1904 में ग्रामीण कृषकों को महाजनों के चंगुल से मुक्त कराने और फसल के लिए कम ब्याज पर ऋण देने के उद्देश्य से सहकारी साख समिति अधिनियम (1904) द्वारा हुई थी। वर्ष 1912 के सहकारिता अधिनियम के बाद प्रदेश में सहकारिता का दायरा बढ़ा है। इसके बाद वर्ष 1943 में उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड (पीसीएफ) की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य किसानों को उचित मूल्य और बिचौलियों से मुक्ति दिलाना था। आजादी के बाद प्रदेश में 12 मार्च 1959 को उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक (यूपीएसजीबी) की स्थापना हुई, जो दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 ने राज्य में सहकारिता को मजबूत किया और समितियों के संचालन को लोकतांत्रिक बनाया। यह राज्य में सहकारी समितियों के गठन, पंजीकरण, प्रबंधन और विनियमन के लिए प्रमुख कानूनी ढांचा उपलब्ध कराता है। यह कानून सहकारी सिद्धांतों के आधार पर समितियों के काम को सुव्यवस्थित करने, कृषि उपज के विपणन, बीज/उर्वरक वितरण और सदस्यों के हितों की रक्षा हेतु नियम निर्धारित करता है, जिसे 1968 की नियमावली के साथ लागू किया जाता है।

प्रदेश में सहकारिता विशेष रूप से ग्रामीण कृषकों के आर्थिक विकास हेतु अल्पकालीन फसली ऋण से प्रारम्भ हुआ था। उस समय सहकारिता का मूल उद्देश्य कृषकों को फसल उत्पादन हेतु उचित शर्तों पर साख उपलब्ध कराकर

उन्हें महाजनों के चंगुल से मुक्त कराना था। कालान्तर में अल्पकालीन ऋण के साथ–साथ उर्वरक बीज वितरण, शीतगृह संचालन, उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण, दीर्घकालीन ऋण वितरण, श्रमिकों का संगठन, दुग्ध विकास, गन्ना, उद्योग, आवास, हथकरघा विकास आदि कार्यक्रम भी सहकारी समितियों के माध्यम से प्रारम्भ हो गए। परिणामस्वरूप, सहकारी कार्यक्रमों का क्षेत्र विस्तृत एवं व्यापक हो जाने के कारण निबन्धक, सहकारी समितियों का अधिकार अन्य नौ विभागों यथा गन्ना, उद्योग, खादी ग्रामोद्योग, आवास, दुग्ध, हथकरघा, मत्स्य, रेशम एवं उद्यान विभाग तक विस्तारित हो गए हैं। प्रदेश में सहकारी समितियों का प्रबन्धन लोकतान्त्रिक रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, जिससे जन सहभागिता को बढ़ावा मिलता है।

प्रदेश में सहकारी समितियों का तीन स्तरीय ढाँचा कार्य कर रहा है। प्रारम्भिक स्तर में न्याय पंचायत स्तर पर गठित प्रारम्भिक कृषि साख समितियां (पैक्स), क्रय–विक्रय प्रारम्भिक समितियां, प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार, सहकारी संघ इत्यादि कार्यशील हैं। केन्द्रीय अथवा मध्यम स्तर में जिला सहकारी बैंक, जिला सहकारी विकास संघ, केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार इत्यादि कार्यशील हैं। इनका गठन सामान्यतः जिला स्तर पर होता है। शीर्ष स्तर के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक (यूपीसीबी), उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक, उत्तर प्रदेश सहाकारी संघ (पीसीएफ), उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ (यूपीएसएस), उत्तर प्रदेश सहकारी विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ (पैक्फेड), उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव यूनियन (पीसीयू), उत्तर प्रदेश श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ इत्यादि कार्यशील हैं। इनका विस्तार सामान्यतः राज्य स्तरीय होता है।

सारणी-1: भारत और उत्तर प्रदेश में सहकारी समितियों की तुलनात्मक प्रगति

समितियों का विवरण	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी (%)
शहरी सहकारी समितियों की संख्या	8859	328915	**2.69**
सदस्यों की संख्या	5507899	115369266	**4.77**
ग्रामीण सहकारी समितियों की संख्या	31857	519017	**6.14**
सदस्यों की संख्या	14038213	201562844	**6.96**
कार्यात्मक सहकारी समितियाँ	22727	657751	**3.46**
निष्क्रिय सहकारी समितियाँ	17048	141239	**12.07**
परिसमापन के अधीन सहकारी समितियाँ	941	48943	**1.92**
कुल सहकारी समितियों की संख्या	**40716**	**847933**	**4.80**
कुल सदस्यों की संख्या	**19546112**	**316932112**	**6.17**

स्रोतः राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के एनसीडी पोर्टल से 31-12-2025 तक है।

उल्लेखनीय है कि 11 जून 1943 को स्थापित उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फेडरेशन (पीसीएफ) का मुख्य उद्देश्य कृषको को बिचैलियों के शोषण से मुक्त कराते हुए उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना एवं उनको सहकारिता के आधार पर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। 20 नवंबर 1944 को स्थापित उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक (यूपीसीबी) एक शीर्ष सहकारी संस्था है। यह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का अनुसूचित बैंक है जो कृषि विकास, जिला सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त और ग्रामीण क्षेत्रों में अल्पकालीन व मध्यकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। 12 मार्च, 1959 को उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक (यूपीएसजीवीबी) की स्थापना प्रदेश के कृषकों को दीर्घकालीन कृषि एवं कृषि आधारित कार्यों हेतु ऋण उपलब्ध कराकर उनकी आय में वृद्धि करने एवं साहूकारों के शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए की गई थी। वर्ष 1965 में उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड (यूपीएसएस) की स्थापना उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 के तहत एक शीर्ष सहकारी संस्था के रूप में की गई थी। यह राज्य में उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुएं, कृषि इनपुट और अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। 25 नवंबर 1974 को स्थापित उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ (यूपीआरएनएसएस), जिसे उत्तर प्रदेश सहकारी विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ कहा जाता है। यह राज्य में निर्माण कार्यों के लिए जिम्मेदार एक शीर्ष सहकारी संस्था है। इसके द्वारा प्रदेश में 35 निर्माण प्रखण्डों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ निर्माण कार्य संपादित कराए जाते है। उत्तर प्रदेश श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ की स्थापना मूल रूप से 1972 में श्रमिक सहकारी संघ के रूप में लखनऊ में की गई थी। हालांकि, बाद में वर्ष 2014 में इसका नाम उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ (यूपीसीएलडीएफ) कर दिया गया है। यह संस्था सहकारी, सरकारी और विभिन्न उपक्रमों के निर्माण संबंधी कार्य सदस्य श्रम सहकारी समितियों के माध्यम से कराती है, जिसमें वर्तमान में 335 सहकारी समितियां सदस्य के रूप में शामिल हैं।

2.1. अध्ययन के उद्देश्यः प्रस्तुत शोध में निम्नलिखित उद्देश्यों का अध्ययन किया गया हैः

1. उत्तर प्रदेश में सहकारी समितियों की तुलनात्मक प्रगति को समझना।
2. उत्तर प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख समितियों के प्रदर्शन का अध्ययन करना।
3. उत्तर प्रदेश में क्रय–विक्रय सहकारी समितियों की प्रगति को समझना।
4. उत्तर प्रदेश में प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियों की प्रगति को समझना।
5. उत्तर प्रदेश में प्राथमिक मत्स्य सहकारी समितियों की प्रगति को समझना।
6. उत्तर प्रदेश में जिला सहकारी बैंकों के प्रदर्शन का अध्ययन करना।
7. उत्तर प्रदेश में सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंकों के प्रदर्शन का अध्ययन करना।

2. उत्तर प्रदेश में सहकारी क्षेत्र के प्रदर्शन :

2.1. उत्तर प्रदेश में सहकारी समितियों की तुलनात्मक प्रगतिः उत्तर प्रदेश में शुरुआत में सहकारी क्षेत्र सिर्फ साख (ऋण) तक सीमित था, लेकिन बाद में उर्वरक वितरण, शीतगृह, उपभोक्ता वस्तुओं के विपणन, दुग्ध विकास, चीनी उद्योग और आवास तक फैल गया है।

सारणी-2: उत्तर प्रदेश में क्षेत्रवार सहकारी समितियों की कार्यशीलता का विवरण

उत्तर प्रदेश में क्षेत्रवार समितियों का विवरण	कुल समितियां	कार्यशील समितियां	कार्यशील समितियों का हिस्सा (%)
कृषि एवं संबद्ध सहकारी समिति	1240	718	57.90
कृषि प्रसंस्करण/औद्योगिक सहकारी समिति	1829	115	6.29
उपभोक्ता सहकारी समिति	1004	473	47.11
क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट समिति	2255	1186	52.59
डेयरी सहकारी समिति	16199	7664	47.31
शैक्षिक और प्रशिक्षण सहकारी समितियां	6	6	100.00
मात्स्यिकी सहकारी समिति	1589	1266	79.67
हस्तशिल्प सहकारी समिति	26	0	0.00
हथकरघा वस्त्र और बुनकर सहकारी समिति	1814	886	48.84
आवासन सहकारी समिति	3247	1207	37.17
खादी ग्रामोद्योग समिति	148	148	100.00
श्रमिक सहकारी समिति	551	138	25.05
पशुधन एवं पोल्ट्री सहकारी समिति	19	0	0.00
विपणन सहकारी समिति	1807	892	49.36
विविध ऋण सहकारी समिति	6	6	100.00
विविध गैर क्रेडिट	70	7	10.00
बहुउद्देशीय सहकारी समिति	129	69	53.49
पीएसीएस/एफएसएस/एलएएमपीएस	8439	7765	92.01
रेशम उत्पादन सहकारी समिति	88	87	98.86
सामाज कल्याण और सांस्कृतिक सहकारिता	2	1	50.00
चीनी मिल सहकारी समिति	27	27	100.00
पर्यटन सहकारी समिति	1	1	100.00
परिवहन सहकारी समिति	85	6	7.06
शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी)	56	51	91.07
महिला कल्याण सहकारी समिति	28	12	42.86

स्रोतः राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार। **टिप्पणीः** उपर्युक्त जिलेवार विवरण उत्तर प्रदेश की कुल 40665 सहकारी समितियों और 22731 कार्यशील समितियों के सापेक्ष दर्शाया गया है, जोकि एनसीडी पोर्टल से 15.11.2025 तक है।

राज्य में जिला स्तर पर जिला सहकारी संघ और शीर्ष सहकारी संस्थाएं क्रियाशील हैं। प्रदेश की सहकारिता में सरकारी भागीदारी के बावजूद, यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर काम करने वाली संस्था है। अब, यह एक व्यापक आंदोलन बन चुका है जिसमें गन्ना, आवास, हथकरघा जैसे क्षेत्र भी शामिल हैं। इस तरह प्रदेश में सहकारिता द्वारा

जन साधारण को बहुमुखी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। उदहारण के लिए, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के माध्यम से नियमित भुगतान करने वाले कृषकों को उचित दर पर साख उपलब्ध कराया जाता है। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक द्वारा अपनी शाखाओं के माध्यम से कृषि एवं अकृषि क्षेत्र हेतु दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। प्रदेश के नगरीय सहकारी बैंक अपने कार्य क्षेत्र में उपभोक्ता ऋण, आवास ऋण, वाहन ऋण एवं रोजगार ऋण उपलब्ध कराते है। किसानो को बिचैलियों के शोषण से बचाने के लिए उनकी कृषि उपज को सहकारी समिति द्वारा क्रय करके उनको उचित मूल्य दिलाया जाता है। राज्य सरकार द्वारा संचालित मूल्य सर्मथन योजनान्तर्गत गेहूं एवं धान की खरीद की जाती है। उर्वरक एवं बीज वितरण के अलावा सहकारी समितियो की वर्तमान भण्डारण क्षमता में वृद्धि किए जाने हेतु अतिरिक्त भण्डारण क्षमता का सृजन किया जा रहा है। इस तरह, प्रदेश बहुआयामी विकास में सहकारिता की गहरी पैठ कायम है।

सारणी-3: उत्तर प्रदेश में जिलेवार पंजीकृत और कार्यशील सहकारी समितियों का विवरण

क्र.	जिले का नाम	कुल समितियां	कार्यशील समितियां	क्र.	जिले का नाम	कुल समितियां	कार्यशील समितियां	क्र.	जिले का नाम	कुल समितियां	कार्यशील समितियां
1	आगरा	1287	616	26	फर्रुखाबाद	498	132	51	महोबा	208	98
2	अलीगढ़	518	307	27	फतेहपुर	714	237	52	मैनपुरी	245	125
3	अम्बेडकर नगर	641	465	28	फिरोजाबाद	303	134	53	मथुरा	532	462
4	अमेठी	347	186	29	गौतम बुद्ध नगर	558	196	54	मऊ	445	176
5	अमरोहा	353	193	30	गाजियाबाद	713	218	55	मेरठ	864	708
6	औरैया	409	104	31	गाजीपुर	859	441	56	मिर्जापुर	633	407
7	अयोध्या	618	409	32	गोंडा	739	445	57	मुरादाबाद	870	507
8	आजमगढ़	1026	686	33	गोरखपुर	788	480	58	मुजफ्फरनगर	420	343
9	बागपत	296	226	34	हमीरपुर	335	247	59	पीलीभीत	381	284
10	बहराइच	539	310	35	हापुर	293	204	60	प्रतापगढ़	525	341
11	बलिया	442	251	36	हरदोई	601	377	61	प्रयागराज	1333	660
12	बलरामपुर	194	133	37	हाथरस	219	163	62	रायबरेली	733	511
13	बांदा	352	169	38	जालौन	589	237	63	रामपुर	379	254
14	बाराबंकी	767	455	39	जौनपुर	687	371	64	सहारनपुर	749	478
15	बरेली	821	533	40	झांसी	695	224	65	संभल	286	185
16	बस्ती	563	401	41	कन्नौज	363	69	66	संत कबीर नगर	217	148
17	भदोही	197	122	42	कानपुर देहात	473	118	67	शाहजहाँपुर	581	435
18	बिजनौर	774	436	43	कानपुर नगर	966	397	68	शामली	173	94
19	बदायूं	524	277	44	कासगंज	146	107	69	श्रावस्ती	237	97
20	बुलंदशहर	717	554	45	कौशाम्बी	470	145	70	सिद्धार्थ नगर	380	196
21	चंदौली	542	265	46	लखीमपुर खेरी	456	351	71	सीतापुर	685	472
22	चित्रकूट	339	193	47	कुशी नगर	350	223	72	सोनभद्र	207	147
23	देवरिया	403	269	48	ललितपुर	343	209	73	सुल्तानपुर	507	309
24	एटा	429	209	49	लखनऊ	1390	718	74	उन्नाव	583	363
25	इटावा	498	103	50	महाराजगंज	373	217	75	वाराणसी	975	399

स्रोत: राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार। **टिप्पणी:** उपर्युक्त जिलेवार विवरण उत्तर प्रदेश की कुल 40665 सहकारी समितियों और 22731 कार्यशील समितियों के सापेक्ष दर्शाया गया है, जोकि एनसीडी पोर्टल से 15.11.2025 तक है।

उत्तर प्रदेश में सहकारी समितियों की भारत के साथ तुलनात्मक प्रगति को सारणी–1 में दर्शाया गया है, जिससे स्पष्ट है कि दिसंबर, 2025 में सहकारी समितियों की कुल संख्या 40716 थी, जो देश की कुल सहकारी समितियों का 4.8 प्रतिशत हैं। प्रदेश की कुल सहकारी समितियों में ग्रामीण और शहरी सहकारी समितियों की संख्या

क्रमशः 31857 और 8859 है, जो देश की ग्रामीण और शहरी सहकारी समितियों का क्रमशः 6.14 और 2.69 प्रतिशत हैं। स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में शहरी सहकारी समितियों की सापेक्षिक हिस्सेदारी कम है। यदि सहकारी समितियों की सदस्यता को देखें तो प्रदेश में दिसंबर, 2025 में सहकारी समितियों की कुल सदस्य संख्या 195.46 लाख थी, जो देश की कुल सहकारी सदस्यता का 6.17 प्रतिशत हैं। इसी तरह प्रदेश में ग्रामीण और शहरी सहकारी समितियों की सदस्य संख्या क्रमशः 140.38 लाख और 55.08 लाख है, जो देश की ग्रामीण और शहरी सहकारी सदस्यता का क्रमशः 6.96 और 4.77 प्रतिशत हैं। स्पष्ट है कि प्रदेश में सदस्यता की दृष्टि से भी शहरी सहकारी समितियों की सापेक्षिक हिस्सेदारी कम है।

सारणी–1 से स्पष्ट है कि दिसंबर, 2025 में प्रदेश में कार्यशील समितियों की संख्या 22727 थी, जो प्रदेश की कुल सहकारी समितियों का 55.8 प्रतिशत हैं और ये देश की कुल सहकारी समितियों का 3.46 प्रतिशत हैं। जबकि प्रदेश में निष्क्रिय और परिसमापन के अधीन सहकारी समितियों की संख्या क्रमशः 17048 और 941 हैं, जो प्रदेश की कुल सहकारी समितियों का क्रमशः 41.9 और 2.3 प्रतिशत हैं और ये देश की कुल सहकारी समितियों का क्रमशः 12. 07 और 1.92 प्रतिशत हैं। स्पष्ट है कि प्रदेश में सहकारी समितियों की कार्यशीलता का स्तर बढाने की आवश्यकता है।

उत्तर प्रदेश में क्षेत्रवार कुल सहकारी समितियों और कार्यशील सहकारी समितियों को सारणी–2 में दर्शाया गया है, जिससे स्पष्ट है कि शीर्ष 5 सहकारी समितियों वाले क्षेत्रों में क्षेत्र डेयरी, पैक्स (पीएसीएस), आवासन, क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट, कृषि प्रसंस्करण एवं औद्योगिक हैं, जबकि न्यूनतम सहकारी समितियों वाले क्षेत्रों में पर्यटन, समाज कल्याण एवं सांस्कृतिक, विविध साख, शैक्षिक एवं प्रशिक्षण, पशुधन एवं पोल्ट्री शामिल हैं। यदि प्रदेश में सहकारी समितियों की कार्यशीलता को देखें तो सारणी–2 से स्पष्ट है कि शैक्षिक एवं प्रशिक्षण, खादी ग्रामोद्योग, विविध साख, चीनी मिल, पर्यटन सहकारी क्षेत्रों में शत प्रतिशत सहकारी समितियां कार्यशील हैं। इसके बाद रेशम उत्पादन सहकारी समितियां 98.86, पीएसीएस/एफएसएस /एलएएमपीएस समितियां 92.01, शहरी सहकारी बैंक 91.07, मात्स्यिकी सहकारी समितियां 79.67, कृषि एवं संबद्ध सहकारी समितियां 57.90 प्रतिशत कार्यशील हैं, जोकि देश में सहकारी समितियों के कार्यशीलता के राष्ट्रीय औसत (55.90 प्रतिशत) से अधिक हैं। प्रदेश में सहकारिता के अन्य क्षेत्रों में कार्यशीलता राष्ट्रीय स्तर से कम है, जबकि न्यूनतम कार्यशीलता वाली सहकारी समितियों में पशुधन एवं पोल्ट्री, हस्तशिल्प, कृषि प्रसंस्करण एवं औद्योगिक, परिवहन सहकारी समितियां शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश में जिलेवार पंजीकृत और कार्यशील सहकारी समितियों को सारणी–3 में दर्शाया गया है। सारणी से स्पष्ट है कि पंजीकृत सहकारी समितियों के मामले में शीर्ष जिला लखनऊ है, जिसके पास प्रदेश में कुल पंजीकृत सहकारी समितियों का 3.42 प्रतिशत हिस्सा है। इसके बाद क्रमशः प्रयागराज में 3.28, आगरा में 3.16, आजमगढ़ में 2. 52, वाराणसी में 2.40, कानपुर नगर में 2.38, मुरादाबाद में 2.14, मेरठ में 2.12, गाजीपुर में 2.11, बरेली में 2.02 प्रतिशत पंजीकृत हैं और ये प्रदेश में पंजीकृत सहकारी समितियों वाले शीर्ष 10 जिले हैं। जबकि न्यूनतम पंजीकृत सहकारी समितियों वाले 5 जिले क्रमशः कासगंज, शामली, बलरामपुर, भदोही, सोनभद्र हैं। इसी तरह सर्वाधिक कार्यशील सहकारी समितियों वाले शीर्ष 10 जिले क्रमशः लखनऊ, मेरठ, आजमगढ़, प्रयागराज, आगरा, बुलंदशहर, बरेली, रायबरेली, मुरादाबाद और गोरखपुर हैं। जबकि न्यूनतम कार्यशील सहकारी समितियों वाले 5 जिले क्रमशः कन्नौज, शामली, श्रावस्ती, महोबा और इटावा हैं। हालांकि, पंजीकृत सहकारी समितियों के सापेक्ष जिलेवार समितियों की कार्यशीलता को देखे तों सर्वाधिक कार्यशील सहकारी समितियों वाला जिला मथुरा है, जिसकी कुल पंजीकृत सहकारी समितियों में 86.84 प्रतिशत कार्यशील हैं। इसके बाद सापेक्षिक कार्यशीलता मेरठ में 81.94, मुजफ्फरनगर में 81.67, बुलंदशहर में 77.27, लखीमपुर खेरी में 76.97, बागपत में 76.35 प्रतिशत कार्यशील हैं। जबकि न्यूनतम सापेक्षिक कार्यशीलता वाले जिले कन्नौज, इटावा, कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद हैं, जिनके पास क्रमशः 19.01, 20.68, 24. 95, 25.43, 26.51 प्रतिशत कार्यशील हैं। इस तरह, प्रदेश में सहकारी समितियों के पंजीकरण और कार्यशीलता दोनों स्तरों पर विचलन बहुत अधिक है।

2.2. प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख समितियों का प्रदर्शनः उत्तर प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख समितियां (पीएसीएस) जमीनी स्तर कार्यशील गांव आधारित सहकारी ऋण संस्थाएँ हैं, जो अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना का सबसे निचला स्तर बनाती हैं। ये किसानों को सस्ता ऋण (केसीसी सहित) प्रदान करती हैं, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है और कृषि विकास को समर्थन मिलता है। साख सुलभता सुनिश्चित करने के अलावा ये उर्वरक, बीज वितरण, विपणन का काम संभालती हैं। कृषि संबंधी उपकरण बेचती हैं और उचित मूल्य की दुकानें भी चलाती हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यशील पीएसीएस ग्रामीण उधारकर्ताओं और उच्च स्तरीय वित्तपोषण एजेंसियों (जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक और नाबार्ड) के बीच अंतिम कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। हालांकि, इनमें से कई संस्थाएँ निष्क्रिय हैं, जिनमें कम जमा राशि जुटाना, उच्च बकाया राशि और पंचायतों में सीमित कवरेज जैसी समस्याएँ शामिल हैं।

सारणी-4: उत्तर प्रदेश में मंडलवार प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों की प्रगति

विवरण	समितियों की संख्या			समितियों में सदस्यों की संख्या			समितियों के अधीन गांव		
मंडल	2014-15	2019-20	2023-24	2014-15	2019-20	2023-24	2014-15	2019-20	2023-24
आगरा	331	325	320	875870	751295	756218	3246	3210	3203
प्रयागराज	578	565	565	1084388	909680	965273	7000	6038	5173
बरेली	480	472	472	963973	956445	976252	6705	6715	6715
अयोध्या	543	539	538	635181	603434	566989	6881	5834	12391
गोरखपुर	616	616	614	1185696	1166376	1247013	7439	6896	6682
झांसी	177	169	165	523353	388769	537106	2200	2178	2289
कानपुर	446	440	428	746159	710182	788694	4907	4586	3813
लखनऊ	951	958	956	1408470	1538912	1791930	9266	8698	8206
मेरठ	364	515	362	891997	912355	941420	2888	4049	2864
मुरादाबाद	344	336	338	912729	922451	1068495	5990	6107	5872
वाराणसी	584	636	581	797498	817927	850766	8716	9524	8575
आजमगढ़	530	475	502	676143	668737	809135	6176	5709	6239
बस्ती	326	323	328	502734	498095	520926	7068	7076	6773
विन्ध्याचल	200	200	200	288411	286962	327406	3692	2603	2744
सहारनपुर	206	214	213	786435	770436	795109	2141	2123	2133
चित्रकूट	177	175	174	386759	369846	409720	2150	2149	2156
देवीपाटन	320	382	383	221614	448372	419451	4573	4487	3541
अलीगढ़	296	305	311	551406	617012	714972	3334	3321	3028
उत्तर प्रदेश	**7469**	**7645**	**7450**	**13438816**	**13337286**	**14486875**	**94372**	**91303**	**92397**

स्रोत: सांख्यिकीय पत्रिका की तालिका-32: मंडल में जनपदवार प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियां से आगणित, अर्थ एवं सांख्यिकीय प्रभाग, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश; 2. सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता; 3. प्रबंधक, अग्रणी बैंक । **टिप्पणियां:** 1. आगरा मंडल में आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा; 2. प्रयागराज मंडल में प्रयागराज, फतेहपुर, कौशांबी, प्रतापगढ़ 3. बरेली मंडल में बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर; 4. अयोध्या मंडल में अंबेडकर नगर, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी; 5. गोरखपुर मंडल में देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज; 6. झांसी मंडल में जालौन, झांसी, ललितपुर; 7. कानपुर मंडल में कानपुर, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात; 8. लखनऊ मंडल में लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव; 9. मेरठ मंडल में मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर; 10. मुरादाबाद मंडल में मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, रामपुर, संभल; 11. वाराणसी मंडल में वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली; 12. आजमगढ़ मंडल में आजमगढ़, बलिया, मऊ; 13. बस्ती मंडल में बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर; 14. विन्ध्याचल मंडल में मिर्जापुर, भदोही (संत रविदास नगर), सोनभद्र; 15. सहारनपुर मंडल में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली; 16. चित्रकूट मंडल में बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा; 17. देवीपाटन मंडल में बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती; 18. अलीगढ़ मंडल में अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज जनपद शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों के अंतर्गत कुल 75 जिले आते हैं। वर्ष 2008 में बना सबसे नवीनतम मंडल अलीगढ़ है, जबकि सबसे बड़े मंडल कानपुर, लखनऊ और मेरठ हैं, जिनमें से प्रत्येक में 6 जिले शामिल हैं।

प्रदेश में मंडलवार प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों की प्रगति को सारणी–4 में दर्शाया गया है, जिससे स्पष्ट है कि वर्ष 2014–15 में प्रदेश में 7469 प्राथमिक कृषि साख समितियां (पैक्स) थी, जो घटकर वर्ष 2023–24 में 7450 रह गई। यदि मंडलवार पैक्स की प्रगति को देखें तो वर्ष 2023–24 में सर्वाधिक पैक्स वाला मंडल लखनऊ रहा है, जिसके पास प्रदेश की 12.8 प्रतिशत पैक्स हैं। इसके बाद क्रमशः गोरखपुर में 8.2, वाराणसी में 7.8, प्रयागराज में 7.6, अयोध्या में 7.2 प्रतिशत हैं, जबकि न्यूनतम पैक्स वाले मंडल झांसी और चित्रकूट हैं, जिनके पास प्रदेश के क्रमशः 2.2 और 2.3 प्रतिशत पैक्स हैं। सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 2014–15 में प्रदेश में पैक्स की सदस्य संख्या 134.39 लाख थी, जो बढ़कर वर्ष 2023–24 में 144.87 लाख हो गई। यदि मंडलवार सदस्यता की प्रगति को देखें तो वर्ष 2023–24 में सर्वाधिक पैक्स सदस्यता वाला मंडल लखनऊ रहा है, जिसके पास प्रदेश के 12.4 प्रतिशत पैक्स सदस्य हैं। इसके बाद क्रमशः गोरखपुर में 8.6, मुरादाबाद में 7.4, बरेली में 6.7, प्रयागराज में 6.7 प्रतिशत हैं, जबकि न्यूनतम पैक्स सदस्यता वाले मंडल विंध्याचल और चित्रकूट हैं, जिनके पास प्रदेश के क्रमशः 2.3 और 2.8 प्रतिशत पैक्स सदस्य हैं।

वर्ष 2014–15 में प्रदेश में पैक्स के अधीन गांवों की संख्या 94372 थी, जो घटकर वर्ष 2023–24 में 92397 रह गए, अर्थात पिछले 10 वर्ष में 1975 गांव पैक्स के कार्यक्षेत्र से हट गए हैं। यदि प्रदेश के कुल गांवों के सापेक्ष पैक्स का कवरेज देखे तो जनगणना, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल 97814 गांव थे और कुल गांवों के सापेक्ष वर्ष 2023–24 में पैक्स का कवरेज 94.46 प्रतिशत रहा है। यदि मंडलवार पैक्स के अधीन गांवों की प्रगति को देखें तो वर्ष 2023–24 में पैक्स के अधीन सर्वाधिक गांवों वाला मंडल अयोध्या (12391) रहा है, जिसके पास प्रदेश के पैक्साधीन 13.4 प्रतिशत गांव हैं। इसके बाद क्रमशः वाराणसी में 9.3, लखनऊ में 8.9, बस्ती में 7.3, बरेली में 7.3 प्रतिशत हैं।

जबकि न्यूनतम पैक्साधीन गांवों वाले मंडल सहारनपुर और चित्रकूट हैं, जिनमें से प्रत्येक के पास प्रदेश के क्रमशः 2.3 प्रतिशत पैक्साधीन गांव हैं।

सारणी-5: उत्तर प्रदेश में मंडलवार प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का प्रदर्शन (लाख रू.)

विवरण	समितियों की अंश पूंजी			समितियों की कार्यशील पूंजी			वर्ष में वितरित अल्पकालीन ऋण		
मंडल	**2014-15**	**2019-20**	**2023-24**	**2014-15**	**2019-20**	**2023-24**	**2014-15**	**2019-20**	**2023-24**
आगरा	3797.9	5618.6	6450.5	37516.1	43657.9	51187.0	35130.3	20620.6	40633.5
प्रयागराज	2093.8	2120.5	3868.5	11848.6	11720.6	45435.6	3095.2	3683.6	5992.8
बरेली	4904.7	6692.6	8438.8	62425.2	69384.4	85875.4	47927.6	44820.8	99500.4
अयोध्या	1706.9	2274.2	2971.5	15370.8	15154.8	16423.6	4895.6	5606.9	10586.0
गोरखपुर	1842.6	1246.4	2244.4	10129.5	5480.6	18082.8	16328.0	3070.2	8975.5
झांसी	3254.9	812.2	17702.5	16827.7	10640.8	115252.2	20550.9	22282.3	163469.3
कानपुर	2284.1	48202.6	54691.4	20716.0	91279.2	5158362.8	14710.1	150716.5	25473.6
लखनऊ	4507.8	3676.5	9043.5	32661.5	228020.8	81914.7	51694.3	17226.0	6826.0
मेरठ	6568.7	16090.5	17725.3	78419.9	213978.0	212637.1	150442.5	186887.2	236666.1
मुरादाबाद	8312.0	16987.7	15031.2	58920.3	141840.1	172299.8	121759.2	373536.2	539310.5
वाराणसी	1580.1	1989.9	1661.6	12316.7	10731.8	8642.4	3651.5	2774.3	4482.8
आजमगढ़	999.0	1121.8	2468.3	4291.1	7989.0	6435.5	674.4	780.2	1650.6
बस्ती	734.0	738.4	772.3	4518.8	4568.1	4540.7	0.0	0.0	426.4
विन्ध्याचल	1749.0	1818.6	3633.0	18709.3	14559.4	15131.4	10363.1	10276.0	14348.4
सहारनपुर	6759.7	10968.2	14450.4	86643.3	145660.7	175172.9	125149.5	275423.2	153589.3
चित्रकूट	1684.2	2030.4	2832.8	10283.9	11466.3	36186.9	8196.4	10803.8	20780.8
देवीपाटन	577.7	620.9	985.3	2552.8	2578.3	3142.4	0.0	0.0	240.6
अलीगढ़	2191.5	3961.5	5062.1	21005.4	25936.7	32591.4	14756.0	16411.5	22337.5
उत्तर प्रदेश	**55548.4**	**126971.2**	**170033.4**	**505156.8**	**1054647.2**	**6239314.5**	**629324.3**	**1144919.2**	**1355290.0**

स्रोत: सांख्यिकीय पत्रिका की तालिका-32: मंडल में जनपदवार प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियां से आगणित, अर्थ एवं सांख्यिकीय प्रभाग, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश;
2. सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता; 3. प्रबंधक, अग्रणी बैंक।

चूंकि किसी सहकारी समिति का सदस्य बनने के लिए एक निश्चित मूल्य का शेयर खरीदना आवश्यक होता है और सदस्यों के यही शेयर समिति की अंश पूंजी कहलाती है। इस तरह सहकारी समितियों की अंश पूंजी उनके सदस्यों द्वारा खरीदे गए शेयरों के माध्यम से जुटाई गई राशि है, जो समिति के स्वामित्व का आधार बनती है। सदस्य समिति की पूंजी में योगदान करते हैं और लोकतांत्रिक रूप से इसे नियंत्रित करते हैं। इस पूंजी पर सदस्यों को सीमित लाभांश मिल सकता है और इसका बड़ा हिस्सा समिति के विकास के लिए साझा संपत्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। सारणी–5 से स्पष्ट है कि वर्ष 2014–15 में प्रदेश में पैक्स की अंश पूंजी 55548.4 लाख रुपए थी, जो 3.06 गुना बढ़कर वर्ष 2023–24 में 170033.4 लाख रुपए हो गई। यदि मंडलवार अंश पूंजी की प्रगति को देखें तो वर्ष 2023–24 में सर्वाधिक पैक्स की अंश पूंजी वाला मंडल कानपुर रहा है, जिसके पास प्रदेश की पैक्स अंश पूंजी का 32. 17 प्रतिशत है। इसके बाद क्रमशः मेरठ में 10.42, झांसी में 10.41, मुरादाबाद में 8.84, सहारनपुर में 8.50 प्रतिशत हैं, जबकि न्यूनतम अंश पूंजी वाले मंडल बस्ती और देवीपाटन हैं, जिनके पास प्रदेश की पैक्स अंश पूंजी का क्रमशः 0.45 और 0.58 प्रतिशत हिस्सा है।

किसी सहकारी समिति की कार्यशील पूंजी वह आवश्यक धनराशि है जो उनके दैनिक परिचालन जैसे सदस्यों को ऋण देना, स्टॉक खरीदना, कर्मचारियों को वेतन देना, अल्पकालिक खर्चों को कवर करने के लिए आवश्यक होती है। यह मुख्यतः सदस्यों के शेयर, संचित आय, आरक्षित निधि, बाहरी ऋण आदि से जुटाई जाती है। सारणी–5 से स्पष्ट है कि वर्ष 2014–15 में प्रदेश में पैक्स की कार्यशील पूंजी 505156.8 लाख रुपए थी, जो 12.35 गुना बढ़कर वर्ष 2023–24 में 6239314.5 लाख रुपए हो गई। यदि मंडलवार कार्यशील पूंजी की प्रगति को देखें तो वर्ष 2023–24 में पैक्स की सर्वाधिक कार्यशील पूंजी वाला मंडल कानपुर रहा है, जिसके पास प्रदेश की पैक्स कार्यशील पूंजी का 82.68 प्रतिशत है। इसके बाद क्रमशः मेरठ में 3.41, सहारनपुर में 2.81, मुरादाबाद में 2.76, झांसी में 1.85 प्रतिशत हैं, जबकि न्यूनतम कार्यशील पूंजी वाले मंडल देवीपाटन और बस्ती हैं, जिनके पास प्रदेश की पैक्स कार्यशील पूंजी का क्रमशः 0. 05 और 0.07 प्रतिशत हिस्सा है।

प्राथमिक कृषि साख समितियों द्वारा वितरित अल्पकालीन ऋण किसानों को कृषि कार्यों (बीज, खाद, कीटनाशक आदि) के लिए 12 से 15 महीने की अवधि हेतु दिया जाने वाला फसली ऋण है। यह प्रायः रियायती दर

पर कृषि आवश्यकताओं और पैक्स द्वारा परिभाषित गतिविधियों के लिए प्रदान किया जाता है। सारणी–5 से स्पष्ट है कि वर्ष 2014–15 में प्रदेश में पैक्स द्वारा वितरित अल्पकालीन ऋण 629324.3 लाख रुपए था, जो 2.15 गुना बढ़कर वर्ष 2023–24 में 1355290 लाख रुपए हो गया। यदि मंडलवार वितरित अल्पकालीन ऋण की प्रगति को देखें तो वर्ष 2023–24 में पैक्स द्वारा वितरित सर्वाधिक अल्पकालीन ऋण वाला मंडल मुरादाबाद है, जिसके पास प्रदेश में पैक्स वितरित अल्पकालीन ऋण का 39.79 प्रतिशत है। इसके बाद क्रमशः मेरठ में 17.46, झांसी में 12.06, सहारनपुर में 11. 33, बरेली में 7.34 प्रतिशत हैं, जबकि न्यूनतम पैक्स के वितरित अल्पकालीन ऋण वाले मंडल देवीपाटन और बस्ती हैं।

2.3. प्रदेश में क्रय–विक्रय सहकारी समितियों की प्रगतिः वर्ष 2024–25 के अनुसार प्रदेश भर में 290 सक्रिय सहकारी क्रय–विक्रय समितियां, 58 जिला संघ और उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन (पीसीएफ) कार्यरत हैं, जो प्रदेश भर के ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करते हुए किसानों को बिचौलियों से बचाकर उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने, उर्वरक, बीज और कीटनाशकों का वितरण आदि कार्य करती हैं। इनका मुख्य कार्य कृषि उपज की खरीद, उचित मूल्य पर उर्वरक और बीजों का वितरण कर किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। समितियों के माध्यम से उर्वरक और प्रमाणित बीजों का वितरण किया जा रहा है। ये किसानों को उनकी उपज (जैसे गेहूँ, धान) का सही मूल्य दिलाने के लिए विपणन केंद्र के रूप में काम कर रही हैं। इस तरह, सहकारी क्रय–विक्रय समितियों का लक्ष्य कृषकों को बिचौलियों के शोषण से मुक्त कराना और एक समावेशी विपणन ढांचा प्रदान करना है। प्रदेश में मंडलवार क्रय–विक्रय सहकारी समितियों के प्रदर्शन को सारणी–6 में दर्शाया गया है, जिससे स्पष्ट है कि वर्ष 2014–15 में प्रदेश में 264 क्रय–विक्रय सहकारी समितियां थी, जो बढ़कर वर्ष 2023–24 में 276 रह गई। यदि मंडलवार क्रय–विक्रय सहकारी समितियों की प्रगति को देखें तो वर्ष 2023–24 में सर्वाधिक समितियों वाला मंडल आजमगढ़ रहा है, जिसके पास प्रदेश की 14.49 प्रतिशत क्रय–विक्रय समितियां हैं। इसके बाद क्रमशः लखनऊ में 11.96, कानपुर में 7.25, गोरखपुर में 6.88, प्रयागराज में 6.16 प्रतिशत हैं, जबकि न्यूनतम समितियों वाले मंडल विन्ध्याचल और देवीपाटन हैं, जिनमें से प्रत्येक के पास प्रदेश की 2.17 प्रतिशत क्रय–विक्रय सहकारी समितियां हैं।

सारणी-6: उत्तर प्रदेश में मंडलवार क्रय-विक्रय सहकारी समितियों की प्रगति

विवरण	समितियों की संख्या			समितियों में सदस्यों की संख्या			वार्षिक क्रय विक्रय का मूल्य (हजार रू.)		
मंडल	2014-15	2019-20	2023-24	2014-15	2019-20	2023-24	2014-15	2019-20	2023-24
आगरा	13	13	13	52821	23778	7757	258585	183578	233142
प्रयागराज	16	16	17	74743	68587	68129	33115	14292	311955
बरेली	13	13	13	82620	83284	77591	1502782	548971	1236617
अयोध्या	7	7	7	10197	10492	10104	2908120	54800	78172
गोरखपुर	23	24	19	24138	10212	10226	140240	90488	97427
झांसी	14	14	14	45963	46569	46724	61857	208674	76182
कानपुर	21	20	20	73849	84056	81409	140440	146106	16725792
लखनऊ	31	33	33	41411	37291	37470	368565	3396727	192038
मेरठ	16	19	16	50461	41839	62388	77528	66243	103016
मुरादाबाद	14	14	14	49944	28605	29586	195528	138660	389484
वाराणसी	16	16	16	55556	53803	50852	74347	7027	10971
आजमगढ़	15	20	40	24975	24926	25419	14430	70856	102935
बस्ती	7	6	7	10229	9530	10300	7585	105338	75450
विन्ध्याचल	6	6	6	8353	9906	14794	76993	82964	58229
सहारनपुर	11	9	9	43093	35630	36378	42665	115543	97040
चित्रकूट	11	12	13	42148	19358	17246	37205	121656	96127
देवीपाटन	17	10	6	30119	25531	43540	3769	12507	849129
अलीगढ़	13	13	13	83773	68380	59447	66438	115119	6715040
उत्तर प्रदेश	**264**	**265**	**276**	**804393**	**681777**	**689360**	**6010192**	**5479549**	**27448746**

स्रोत: सांख्यिकीय पत्रिका की तालिका-33: मंडल में अन्य सहकारी समितियां से आगणित, अर्थ एवं सांख्यिकीय प्रभाग, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश

2. सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता।

वर्ष 2014–15 में प्रदेश में क्रय–विक्रय सहकारी समितियों की सदस्यता 8.04 लाख थी, जो घटकर वर्ष 2023–24 में 6.89 लाख रह गई। यदि मंडलवार सदस्यता को देखें तो वर्ष 2023–24 में सर्वाधिक सदस्यता वाला मंडल कानपुर रहा है, जिसके पास प्रदेश की 11.81 प्रतिशत सदस्यता है। इसके बाद क्रमशः बरेली में 11.26, प्रयागराज में 9.88, मेरठ में 9.05, अलीगढ़ में 8.62 प्रतिशत हैं, जबकि न्यूनतम क्रय–विक्रय सहकारी समितियों वाले

मंडल आगरा और अयोध्या हैं, जिनके पास प्रदेश के क्रमशः 1.13 और 1.47 प्रतिशत सदस्य हैं। सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 2014–15 में प्रदेश में क्रय–विक्रय सहकारी समितियों द्वारा किए गए वार्षिक क्रय विक्रय का मूल्य 60101.9 लाख रुपए था, जो 4.57 गुना बढ़कर वर्ष 2023–24 में 274487.5 लाख रुपए हो गया। यदि मंडलवार वार्षिक क्रय विक्रय को देखें तो वर्ष 2023–24 में सर्वाधिक क्रय विक्रय वाला मंडल कानपुर रहा है, जिसके पास प्रदेश के कुल वार्षिक क्रय विक्रय का 60.93 प्रतिशत है। इसके बाद क्रमशः अलीगढ़ में 24.46, बरेली में 4.51, देवीपाटन में 3.09, मुरादाबाद में 1. 42 प्रतिशत हैं, जबकि न्यूनतम क्रय–विक्रय समितियों वाले मंडल वाराणसी और विन्ध्याचल हैं, जिनके पास प्रदेश के वार्षिक क्रय विक्रय का क्रमशः 0.04 और 0.21 प्रतिशत है।

2.4. प्रदेश में प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियों की प्रगतिः उत्तर प्रदेश में नन्द बाबा दुग्ध मिशन और विभिन्न सहकारी योजनाओं के माध्यम से प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियों के विकास और तीव्र विस्तार के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार वर्ष 2025–26 में 4,922 नई समितियों के गठन व 169 अकार्यशील समितियों को पुनर्जीवित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिससे डेयरी किसानों को गाँव स्तर पर ही उचित मूल्य मिल सके। उल्लेखनीय है कि 1000 करोड़ रुपए की लागत से संचालित नन्द बाबा दुग्ध मिशन का उद्देश्य हर गाँव में दुग्ध सहकारी समितियाँ बनाना और दुग्ध उत्पादकों को गाँव में ही उचित मूल्य दिलाना है। उत्तर प्रदेश डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति–2022 के तहत अगले 5 वर्षों में 5000 करोड़ रुपये के निवेश और दूध प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाने का लक्ष्य है। डेयरी फार्मिंग के लिए 25 से 33 प्रतिशत तक की सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। यह प्रगति प्रदेश को दूध उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य बनाए रखने में मदद कर रही है। फिलहाल प्रदेश में 7094 समितियां सक्रिय रूप से दूध संकलन कर रही हैं। प्रदेश की दुग्ध समितियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है और 7200 से अधिक महिला सदस्य सक्रिय रूप से दूध की आपूर्ति कर रही हैं।

सारणी-7: उत्तर प्रदेश में मंडलवार प्राथमिक दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों की प्रगति

विवरण	सहकारी समितियों की संख्या			समितियों की सदस्य संख्या			वार्षिक विक्रय का उत्पादन मूल्य (हजार रू.)		
मंडल	**2014-15**	**2019-20**	**2023-24**	**2014-15**	**2019-20**	**2023-24**	**2014-15**	**2019-20**	**2023-24**
आगरा	835	473	705	37257	19170	29094	123534	372793	12882500
प्रयागराज	656	366	436	26070	31890	17767	513391	503712	200381
बरेली	1329	1197	1104	73816	52368	46669	1034730	5371504	4783481
अयोध्या	1548	1040	1473	83356	50727	68214	689369	1353604	104729086
गोरखपुर	729	384	398	34677	12402	13456	4106300	153662	198804
झांसी	492	410	225	17490	15214	9675	142589	162012	21556
कानपुर	1425	375	110	65187	19043	4830	2323399	181291999	181206850
लखनऊ	1786	1832	1593	73820	73667	75452	1956935	5324729	1472435
मेरठ	1236	1559	1164	48993	61981	60451	3170652	4666751	321455
मुरादाबाद	1785	1639	1024	76627	115355	41799	593074	111519	818627
वाराणसी	696	571	519	33419	25352	22635	718489	6176768	5869784
आजमगढ़	621	473	323	27559	6924	12924	95760	694894	17730
बस्ती	344	236	290	14552	12391	11600	53567	21951	100237
विन्ध्याचल	209	181	193	8086	7164	9711	384233	341748	70457
सहारनपुर	317	237	247	37516	28160	14517	24213485	24201390	48303
चित्रकूट	310	618	493	18785	25397	20327	18379	39767	12030
देवीपाटन	1151	1241	847	50085	50099	32312	216143	126664	63287
अलीगढ़	417	211	257	16152	8862	10498	489138	63400178	10352604
उत्तर प्रदेश	**15886**	**13043**	**11401**	**743447**	**616166**	**501931**	**40843167**	**294315645**	**323169607**

स्रोत: सांख्यिकीय पत्रिका की तालिका-33: मण्डल में सहकारी बैंक और सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक से आगणित, अर्थ एवं सांख्यिकीय प्रभाग, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश
2. सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता।

प्रदेश में मंडलवार प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियों की प्रगति को सारणी–7 में दर्शाया गया है, जिससे स्पष्ट है कि वर्ष 2014–15 में प्रदेश में 15886 प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियां थी, जो घटकर वर्ष 2023–24 में 11401 रह गई। यदि मंडलवार दुग्ध सहकारी समितियों की प्रगति को देखें तो वर्ष 2023–24 में सर्वाधिक समितियों वाला मंडल लखनऊ रहा है, जिसके पास प्रदेश की 13.97 प्रतिशत दुग्ध सहकारी समितियां हैं। इसके बाद क्रमशः अयोध्या में 12. 92, मेरठ में 10.21, बरेली में 9.68, मुरादाबाद में 8.98 प्रतिशत हैं, जबकि न्यूनतम समितियों वाले मंडल कानपुर और विन्ध्याचल हैं, जिनके पास प्रदेश के 0.96 और 1.69 प्रतिशत प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियां हैं।

वर्ष 2014–15 में प्रदेश में प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियों की सदस्यता 7.43 लाख थी, जो घटकर वर्ष 2023–24 में 5.02 लाख रह गई। यदि मंडलवार सदस्यता को देखें तो वर्ष 2023–24 में सर्वाधिक सदस्यता वाला मंडल लखनऊ रहा है, जिसके पास प्रदेश की 15.03 प्रतिशत सदस्यता है। इसके बाद क्रमशः अयोध्या में 13.59, मेरठ में 12.04, बरेली में 9.30, मुरादाबाद में 8.33 प्रतिशत हैं, जबकि न्यूनतम सदस्यता वाले मंडल कानपुर और झांसी हैं, जिनके पास प्रदेश के क्रमशः 0.96 और 1.93 प्रतिशत सदस्य हैं। सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 2014–15 में प्रदेश में प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियों द्वारा किए गए वार्षिक विक्रय का मूल्य 408431.7 लाख रुपए था, जो 4.57 गुना बढ़कर वर्ष 2023–24 में 3231696.1 लाख रुपए हो गया। यदि मंडलवार वार्षिक विक्रय को देखें तो वर्ष 2023–24 में सर्वाधिक विक्रय वाला मंडल कानपुर रहा है, जिसके पास प्रदेश के कुल विक्रय का 56.07 प्रतिशत है। इसके बाद क्रमशः अयोध्या में 32.41, आगरा में 3.99, अलीगढ़ में 3.20, वाराणसी में 1.82 प्रतिशत हैं, जबकि न्यूनतम विक्रय वाले मंडल चित्रकूट और आजमगढ़ हैं, जिनके पास प्रदेश के वार्षिक विक्रय का क्रमशः 0.00 और 0.01 प्रतिशत है।

2.5. प्रदेश में प्राथमिक मत्स्य सहकारी समितियों की प्रगतिः उत्तर प्रदेश में मत्स्य सहकारी समितियों का तेजी से आधुनिकीकरण और विस्तार हो रहा है, जिसका उद्देश्य मत्स्य पालकों के सामाजिक–आर्थिक स्तर को उन्नत करना है। राज्य में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएसएसवाई) और मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत 'नील क्रांति' (ब्लू रिवोल्यूशन) को उन्नत करने हेतु समितियों को तकनीकी सहायता, 25 लाख तक की सब्सिडी और 3–स्तरीय संरचना के माध्यम से सुदृढ़ किया जा रहा है।

सारणी-8: उत्तर प्रदेश में मंडलवार मत्स्य सहकारी समितियों की प्रगति

विवरण	सहकारी समितियों की संख्या			समितियों की सदस्य संख्या			वार्षिक विक्रय का उत्पादन मूल्य (हजार रू.)		
मंडल	2014-15	2019-20	2023-24	2014-15	2019-20	2023-24	2014-15	2019-20	2023-24
आगरा	21	16	17	948	647	650	100300	166328	54306
प्रयागराज	78	79	82	4496	4478	4526	2868	8960	5186801
बरेली	19	25	22	881	944	692	2344	7263	175410
अयोध्या	86	89	84	3518	2946	3239	1680595	1833200	190101651
गोरखपुर	111	111	112	7390	29199	29113	63172	1141686	394899
झांसी	54	55	49	2731	2947	2536	2634	26816	2617621
कानपुर	17	20	24	436	750	899	251485	11843614	7482452
लखनऊ	134	136	152	4924	5099	5670	46593	147772	2250375
मेरठ	13	25	29	2298	2531	2661	1430900	1216698	2179597
मुरादाबाद	21	18	22	867	835	1033	2130	2368900	6529210
वाराणसी	60	64	62	5077	5350	5189	1735	19488	3221
आजमगढ़	46	50	54	3182	3219	3246	1298	7360	9138
बस्ती	60	69	69	3649	3392	3607	171815	117374	175025
विन्ध्याचल	35	35	31	16291	1772	1808	490	562986	917116
सहारनपुर	17	29	31	501	798	848	1806666	15267272	19565872
चित्रकूट	86	86	79	3735	3797	3516	11947	68000	412106
देवीपाटन	99	100	109	3766	8496	3396	752868	20231	626973
अलीगढ़	9	9	10	262	282	331	1020	1207	895
उत्तर प्रदेश	**966**	**1016**	**1038**	**64952**	**77482**	**72960**	**6330860**	**34825155**	**238682668**

स्रोत: सांख्यिकीय पत्रिका की तालिका-33: मण्डल में सहकारी बैंक और सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक से आगणित, अर्थ एवं सांख्यिकीय प्रभाग, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश 2. सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता।

राज्य में मत्स्य पालन के विकास के लिए त्रि–स्तरीय में 'प्राथमिक मत्स्य जीवी सहकारी समिति' प्रमुख हैं। प्रदेश सरकार निषादराज बोट सब्सिडी योजना के तहत मछुआरों को सब्सिडी और रियायती केसीसी ऋण प्रदान कर रही है। जबकि उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रदेश भर में मत्स्यपालन के लिए 9 बड़ी और 48 मध्यम एवं छोटी हैचरी का निर्माण किया गया है। प्रदेश में समितियों के गठन के लिए न्यूनतम 27 सदस्य अनिवार्य हैं, जिसमें 6 महिलाओं का होना आवश्यक है, जो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहा है। मत्स्य जीवी सहकारी समितियां न केवल उत्पादन बढ़ा रही हैं, बल्कि बिचौलियों को खत्म कर मछुआरों को सीधे लाभ पहुँचा रही हैं। इसके बावाजूद, पिछले एक दशक में प्रदेश में मत्स्य सहकारी समितियों की संख्या में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज नहीं हुई है। प्रदेश में मंडलवार प्राथमिक मत्स्य सहकारी समितियों की प्रगति को सारणी–8 में दर्शाया गया है, जिससे स्पष्ट है कि वर्ष 2014–15 में प्रदेश में 966 मत्स्य सहकारी समितियां थी, जो बढ़कर वर्ष 2023–24 में 1038 हो गई। यदि मंडलवार मत्स्य सहकारी समितियों

की प्रगति को देखें तो वर्ष 2023—24 में सर्वाधिक समितियों वाला मंडल लखनऊ रहा है, जिसके पास प्रदेश की 14.64 प्रतिशत प्राथमिक मत्स्य सहकारी समितियां हैं। इसके बाद क्रमशः गोरखपुर में 10.79, देवीपाटन में 10.50, अयोध्या में 8.09, प्रयागराज में 7.90 प्रतिशत हैं, जबकि न्यूनतम समितियों वाले मंडल अलीगढ़ और आगरा हैं, जिनके पास प्रदेश की 0.96 और 1.64 प्रतिशत मत्स्य सहकारी समितियां हैं।

वर्ष 2014—15 में प्रदेश में प्राथमिक मत्स्य सहकारी समितियों की सदस्यता 64952 थी, जो बढ़कर वर्ष 2023—24 में 72960 हो गई। यदि मंडलवार सदस्यता को देखें तो वर्ष 2023—24 में सर्वाधिक सदस्यता वाला मंडल गोरखपुर रहा है, जिसके पास प्रदेश की 39.90 प्रतिशत सदस्यता है। इसके बाद क्रमशः लखनऊ में 7.77, वाराणसी में 7.11, प्रयागराज में 6.20, बस्ती में 4.94 प्रतिशत हैं, जबकि न्यूनतम सदस्यता वाले मंडल अलीगढ़ और आगरा हैं, जिनके पास प्रदेश के क्रमशः 0.45 और 0.89 प्रतिशत सदस्य हैं। सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 2014—15 में प्रदेश में प्राथमिक मत्स्य सहकारी समितियों द्वारा किए गए वार्षिक विक्रय का मूल्य 63308.6 लाख रुपए था, जो 37.70 गुना बढ़कर वर्ष 2023—24 में 2386826.7 लाख रुपए हो गया। यदि मंडलवार वार्षिक विक्रय को देखें तो वर्ष 2023—24 में सर्वाधिक विक्रय वाला मंडल अयोध्या रहा है, जिसके पास प्रदेश के कुल वार्षिक विक्रय का 79.65 प्रतिशत है। इसके बाद क्रमशः सहारनपुर में 8.20, कानपुर में 3.13, मुरादाबाद में 2.74, प्रयागराज में 2.17 प्रतिशत हैं, जबकि न्यूनतम विक्रय वाले मंडल अलीगढ़ और वाराणसी हैं।

2.6. प्रदेश में जिला सहकारी बैंकों का प्रदर्शनः उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में जिला सहकारी बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वाणिज्य, व्यापार एवं उद्योग धंधों में बेहतर विकास के बावजूद भी प्रदेश की सकल आय में कृषि क्षेत्र का योगदान 25 प्रतिशत से अधिक है। रोजगार के अवसर सुलभ कराने की दृष्टि से भी कृषि सबसे व्यापक क्षेत्र बना हुआ है।

सारणी-9: उत्तर प्रदेश में मंडलवार जिला सहकारी बैंकों की प्रगति (ऋण करोड़ रू.)

विवरण	सहकारी बैंकों की संख्या			सदस्यों की संख्या			वितरित अल्प & मध्यकालीन ऋण		
मंडल	2014-15	2019-20	2023-24	2014-15	2019-20	2023-24	2014-15	2019-20	2023-24
आगरा	56	60	59	1104	1068	256603	110685	55797	40641
प्रयागराज	100	88	88	42329	1818	183486	11160	12237	7523
बरेली	85	82	82	1303	1837	361529	80645	83802	44526
अयोध्या	80	76	76	8826	4036	133254	13223	10239	11683
गोरखपुर	95	104	66	1273	2360	2143	2277	31343	134
झांसी	46	46	45	705	714	719	180166	24445	31389
कानपुर	76	109	111	200870	167479	145040	21505	44481	8790
लखनऊ	194	195	181	155272	156206	689785	102261	5542234	1827
मेरठ	118	117	115	1370	1466	1280	225351	731334	180807
मुरादाबाद	116	143	128	3409	362512	473362	81527	384469	61983
वाराणसी	74	51	64	2088	2984	36244	4262	2300	11796
आजमगढ़	60	54	55	134080	1690	1721	948	986	968
बस्ती	38	27	25	297792	114598	151003	0	9	12
विन्ध्याचल	33	31	32	74248	74825	52327	23017	25274	286
सहारनपुर	74	83	92	812	896	864	163416	433972	2002
चित्रकूट	47	47	47	607	18869	19642	26161	23862	36179
देवीपाटन	50	20	15	201060	912	366	183	30	8
अलीगढ़	50	50	56	77835	85188	41419	60209	83839	534
उत्तर प्रदेश	**1392**	**1383**	**1337**	**1204983**	**999458**	**2550787**	**1106997**	**7490653**	**441088**

स्रोत: सांख्यिकीय पत्रिका की तालिका-34: मण्डल में सहकारी बैंक और सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक से आगणित, अर्थ एवं सांख्यिकीय प्रभाग, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, 2. सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता, 3. वरिष्ठ प्रबंधक, सहकारी कृषि एवं ग्राम विकास बैंक, 4. प्रबंधक, अग्रणी बैंक।

ऐसे में प्रदेश के किसानों को कृषि उत्पादन हेतु आवश्यक संसाधन जैसे उर्वरक, बीज, कृषि उपकरण, रसायन एवं कीटनाशक, कृषि यन्त्र आदि हेतु अल्पकालीन ऋण और कृषि पर आधारित उद्योग सेवा एवं व्यवसाय आदि प्रयोजनों के लिये मध्यकालीन ऋण सुलभ कराने में सहकारी बैंकों की भूमिका अग्रणी है। इन बैंकों द्वारा किसानों को उनकी उपज के वैज्ञानिक भण्डारण व विपणन आदि की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ—साथ दैनिक उपयोग की आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति हेतु वित्तपोषण की व्यवस्था भी की जाती है। वर्ष 2017 में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने जिन 16 जिला सहकारी बैंकों को चूककर्ता (डिफॉल्टर) घोषित किया था, उनमें से 15 लाभ की स्थिति

में आ गए हैं औए बचे हुए एक को भी मुनाफे में लाने की कोशिश जारी है। प्रदेश में मंडलवार जिला सहकारी बैंकों की प्रगति को सारणी–9 में दर्शाया गया है, जिससे स्पष्ट है कि वर्ष 2014–15 में प्रदेश में शाखाओं सहित 1392 जिला सहकारी बैंक थे, जो घटकर वर्ष 2023–24 में 1337 हो गए। यदि मंडलवार प्रगति को देखें तो वर्ष 2023–24 में सर्वाधिक जिला सहकारी बैंकों वाला मंडल लखनऊ रहा है, जिसके पास प्रदेश के 13.54 प्रतिशत जिला सहकारी बैंक हैं। इसके बाद क्रमशः मुरादाबाद में 9.57, मेरठ में 8.60, कानपुर में 8.30, सहारनपुर में 6.88 प्रतिशत हैं, जबकि न्यूनतम जिला सहकारी बैंकों वाले मंडल देवीपाटन और बस्ती हैं, जिनके पास प्रदेश के 1.12 और 1.87 प्रतिशत जिला सहकारी बैंक हैं।

वर्ष 2014–15 में प्रदेश में जिला सहकारी बैंकों की सदस्यता 12.05 लाख थी, जो 2.12 गुना बढ़कर वर्ष 2023–24 में 25.51 लाख हो गई। यदि मंडलवार सदस्यता को देखें तो वर्ष 2023–24 में सर्वाधिक सदस्यता वाला मंडल लखनऊ रहा है, जिसके पास प्रदेश की 27.04 प्रतिशत सदस्यता है। इसके बाद क्रमशः मुरादाबाद में 18.56, बरेली में 14.17, आगरा में 10.06, प्रयागराज में 7.19 प्रतिशत हैं, जबकि न्यूनतम सदस्यता वाले मंडल देवीपाटन और झांसी हैं, जिनके पास प्रदेश के क्रमशः 0.01 और 0.03 प्रतिशत सदस्य हैं। सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 2014–15 में प्रदेश में जिला सहकारी बैंकों द्वारा वितरित अल्प और मध्यकालीन ऋण 1106997 करोड़ रुपए था, जो घटकर वर्ष 2023–24 में 441088 करोड़ रुपए रह गया। यदि मंडलवार वितरित ऋण को देखें तो वर्ष 2023–24 में सर्वाधिक वितरण वाला मंडल मेरठ रहा है, जिसके पास प्रदेश के जिला सहकारी बैंकों के कुल वितरित ऋण का 40.99 प्रतिशत है। इसके बाद क्रमशः मुरादाबाद में 14.05, बरेली में 10.09, आगरा में 9.21, चित्रकूट में 8.20 प्रतिशत हैं, जबकि न्यूनतम वितरण वाले मंडल देवीपाटन और बस्ती हैं।

2.7. प्रदेश में सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंकों का प्रदर्शनः उत्तर प्रदेश में सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक (यूपीएसजीवीबी) अपनी 323 शाखाओं के माध्यम से 13 लाख से अधिक सदस्यों, जिनमें 94 प्रतिशत लघु एवं सीमांत किसान हैं, को दीर्घकालिक ऋण प्रदान कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहे हैं।

सारणी-10: उत्तर प्रदेश में मंडलवार सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंकों की प्रगति

विवरण	सहकारी बैंकों की शाखाएं			सदस्यों की संख्या			वितरित ऋण (लाख रू.)		
मंडल	2014-15	2019-20	2023-24	2014-15	2019-20	2023-24	2014-15	2019-20	2023-24
आगरा	26	26	26	148709	141556	129303	442079	10973428	86684
प्रयागराज	18	18	18	75806	61154	68526	225821	12393	78358
बरेली	35	35	35	202269	148643	164478	2848999	45794	87705794
अयोध्या	16	16	16	68429	62289	64080	172808	15904	64353
गोरखपुर	14	14	14	56350	68023	65436	201863	166964	4768
झांसी	11	11	11	39755	35508	37094	77008	9011	22545
कानपुर	21	21	21	97811	82930	80243	203798	387561	24670
लखनऊ	41	41	41	131751	139719	147248	606490	8378512	3660
मेरठ	19	20	20	67024	197003	60456	1149652	4162670	116888
मुरादाबाद	26	26	26	108705	99275	85279	673173	407602	124006
वाराणसी	13	13	13	58316	55004	60566	101361	8045	49563
आजमगढ़	14	14	14	68033	60743	62275	91467	1478	50628
बस्ती	6	6	6	36678	16328	10454	100579	32559	942
विन्ध्याचल	6	6	6	35274	23579	32121	79446	3717	670
सहारनपुर	13	13	13	43952	27759	19475	552992	2758568	3160
चित्रकूट	9	9	9	26094	23843	23668	64340	2978	32730
देवीपाटन	13	13	13	85639	79313	86008	171605	61364	98263
अलीगढ़	21	21	21	168162	112316	112563	1502069	341138	2246
उत्तर प्रदेश	**322**	**323**	**323**	**1518757**	**1434985**	**1309273**	**9265550**	**27769686**	**88469928**

स्रोत: सांख्यिकीय पत्रिका की तालिका-34: मण्डल में सहकारी बैंक और सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक से आगणित, अर्थ एवं सांख्यिकीय प्रभाग, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, 2. सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता, 3. वरिष्ठ प्रबंधक, सहकारी कृषि एवं ग्राम विकास बैंक, 4. प्रबंधक, अग्रणी बैंक।

बैंक मुख्य रूप से लघु सिंचाई, कृषि मशीनीकरण, बागवानी, डेयरी, पोल्ट्री और ग्रामीण आवास जैसी गतिविधियों के लिए दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराते हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य किसानों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराना और ग्रामीण क्षेत्रों में पूंजी निर्माण व आधुनिकीकरण के माध्यम से कृषि उपज बढ़ाना है। प्रदेश में मंडलवार सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंकों की प्रगति को सारणी–10 में दर्शाया गया है, जिससे स्पष्ट है कि वर्ष 2014–15

में प्रदेश में 322 शाखाओं सहित सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक थे, जो बढ़कर वर्ष 2023–24 में 323 हो गए। यदि मंडलवार प्रगति को देखें तो वर्ष 2023–24 में सर्वाधिक सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंकों वाला मंडल लखनऊ रहा है, जिसके पास प्रदेश के 12.69 प्रतिशत सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक हैं। इसके बाद क्रमशः बरेली में 10.84, आगरा में 8.05, मुरादाबाद में 8.05, कानपुर में 6.50 प्रतिशत हैं, जबकि न्यूनतम सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंकों वाले मंडल विन्ध्याचल और बस्ती हैं, जिनमें से प्रत्येक के पास प्रदेश के 1.86 प्रतिशत सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक हैं।

वर्ष 2014–15 में प्रदेश में सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंकों की सदस्यता 15.19 लाख थी, जो घटकर वर्ष 2023–24 में 13.09 लाख हो गई। यदि मंडलवार सदस्यता को देखें तो वर्ष 2023–24 में सर्वाधिक सदस्यता वाला मंडल बरेली रहा है, जिसके पास प्रदेश के सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंकों की 12.56 प्रतिशत सदस्यता है। इसके बाद क्रमशः लखनऊ में 11.25, आगरा में 9.88, अलीगढ़ में 8.60, देवीपाटन में 6.57 प्रतिशत हैं, जबकि न्यूनतम सदस्यता वाले मंडल बस्ती और सहारनपुर हैं, जिनके पास प्रदेश के क्रमशः 0.80 और 1.49 प्रतिशत सदस्य हैं। सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 2014–15 में प्रदेश में सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंकों द्वारा वितरित ऋण 92655.5 करोड़ रुपए था, जो 9.55 गुना बढ़कर वर्ष 2023–24 में 884699 करोड़ रुपए हो गया।

3. परिणाम एवं परिचर्चाः उत्तर प्रदेश सरकार सहकारी समितियों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में विकसित करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। सहकारी समितियों का मुख्य उद्देश्य अब उन्हें सिर्फ ऋण वितरण तक सीमित न रखकर उन्हें व्यवसाय केंद्र बनाना है, जिससे कृषि उपज की खरीद–बिक्री और कृषि व्यवसाय को बढ़ावा मिल सके। स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से 'स्वयं शक्ति' और 'नंदिनी सहकार' जैसी योजनाओं के तहत महिला–नेतृत्व वाली सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता और बढ़ावा दिया जाना चाहिए। राज्य में ग्रामीण आर्थिक विकास के लिए त्रिस्तरीय सहकारी साख ढांचा सक्रिय है और प्रदेश में सहकारी समितियों ने वर्ष 2017 के बाद से महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसमें पैक्स (पीएसीएस) का कम्प्यूटरीकरण, ऋण सीमा में वृद्धि और उर्वरक वितरण में सुधार प्रमुख हैं। नेशनल को–ऑपरेटिव डेटाबेस का उपयोग, ई–पीएसीएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से कामकाज का कम्प्यूटरीकरण और 'सहकारी रैंकिंग फ्रेमवर्क' के जरिए पारदर्शिता बढ़ाई जानी चाहिए।

उत्तर प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख समितियां राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, जो किसानों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराती हैं। 2017 से इनमें महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं, जैसे टर्नओवर में वृद्धि, उर्वरक वितरण का सुदृढ़ीकरण, और कंप्यूटरीकरण, जिससे पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ी है। ये किसानों को बिचौलियों से बचाने के लिए गेहूं और धान की खरीद करती हैं। इसलिए, इनके माध्यम से भंडारण क्षमता का विस्तार किया जा सकता है। इन्हें केवल ऋण ही नहीं, बल्कि उर्वरक, बीज, कीटनाशक वितरण और किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से आय बढ़ाने के लिए 'बहुउद्देशीय' बनाया जाना चाहिए ताकि 'सहकार से समृद्धि' के तहत ग्रामीण स्तर पर सहकारी समितियों को वित्तीय रूप से टिकाऊ बनाया जा सके।

उत्तर प्रदेश में क्रय–विक्रय सहकारी समितियां किसानों को बिचौलियों से बचाकर उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने और उर्वरक/बीज वितरण में महत्वपूर्ण प्रगति कर रही हैं। इन्हें 'सहकार से समृद्धि' के तहत गेहूं–धान की सरकारी खरीद, डिजिटल कंप्यूटरीकरण और भण्डारण क्षमता बढ़ाकर विस्तारित किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक मत्स्य सहकारी समितियों का गठन और सुदृढ़ीकरण, मछुआरा समुदाय के सामाजिक–आर्थिक उत्थान और राज्य में नीली क्रांति को बढ़ावा देता है। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना और प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सहायता को सुगम बनाया जाना चाहिए और सब्सिडी व तकनीकी सहायता प्रदान कर सामूहिक विकास के लिए मछली बीज उत्पादन और विपणन में मदद की जा सकती है। इसलिए इनको सक्रिय करने के लिए विशेष सदस्यता अभियान चलाया जाना चाहिए। इन समितियों में महिलाओं और एससी/एसटी सदस्यों को शामिल करने पर विशेष जोर दिया जा सकता है। समितियों को ऑनलाइन पंजीकरण और पारदर्शी कार्यप्रणाली के लिए प्रोत्साहित किया जाए ताकि इन्हें सीधे सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। इन कदमों से राज्य में मत्स्य पालन के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढाए जा सकते हैं और मत्स्य उत्पादकता में वृद्धि से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिल सकती है।

उत्तर प्रदेश भारत में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जो देश के कुल दूध उत्पादन में लगभग 14.9 प्रतिशत योगदान देता है और इसको कायम रखने के लिए प्रदेश में प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियां आधुनिकीकरण, डिजिटलीकरण और विस्तार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता हैं। हालांकि, सहकारी दुग्ध समितियों को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए 'श्वेत क्रांति 2.0' के तहत 6,600 नई डेयरी समितियां स्थापित की जा रही हैं। वहीं मत्स्य पालन और हथकरघा क्षेत्रों में भी समितियों का चयन कर पुनर्गठन किया जा रहा है। परिणामस्वरूप पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में, दुग्ध उत्पादन एक प्राथमिक सहायक व्यवसाय बन गया है, और औसत दूध उत्पादन में सुधार हो रहा है,

हालांकि कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की कमियां मौजूद हैं। सहकारी समितियों से संबद्ध किसानों को आधुनिक प्रौद्योगिकियों और उचित कीमतों से सीधे जोड़ना आवश्यक है, साथ ही ग्रामीण आय बढ़ाने के लिए नई प्राथमिक दुग्ध समितियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण सेवाएं भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

उत्तर प्रदेश में जिला सहकारी बैंक 'वन डिस्ट्रिक्ट–वन कोऑपरेटिव बैंक' के तहत तेजी से डिजिटल और लाभांश–आधारित हो रहे हैं और ग्रामीण वित्तीय समावेशन को निरंतर मजबूत कर रहे हैं। इनके वित्तीय सुदृढ़ीकरण के तहत फैजाबाद, श्रावस्ती, इलाहाबाद, सीतापुर और गोरखपुर जैसे क्षेत्रों के 16 संघर्षरत बैंकों में नई पूंजी डालकर उन्हें सक्रिय किया गया है। उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक (यूपीसीबी) के नेतृत्व में 1300 से अधिक शाखाओं के साथ सहकारी बैंकिंग का एक मजबूत नेटवर्क ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहा है। वर्ष 2024–25 में 50 जिला सहकारी बैंकों ने 162 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ कमाया है। परिणामस्वरूप सहकारी बैंक अब आत्मनिर्भरता और 2047 के विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं।

4. निष्कर्ष एवं सुझावः उपर्युक्त अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में सहकारी क्षेत्र "सहकार से समृद्धि" के मंत्र के साथ तेजी से प्रगति कर रहा है, जिसमें डिजिटल बैंकिंग और किसान–केंद्रित ऋण सुविधाओं पर जोर दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक के तहत 7 चीनी मिलों को ऋण, पीएसीएस का कम्प्यूटरीकरण और उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की 323 शाखाओं के माध्यम से 94 प्रतिशत लघु–सीमांत किसानों को दीर्घकालिक कृषि ऋण प्रदान किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक अब यूपीआई, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग और पीओएस जैसी आधुनिक डिजिटल सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने के लिए पैक्स (पीएसीएस) का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता और ऑनलाइन सेवाओं में सुधार हो रहा है। सहकारी समितियां अब केवल उर्वरक और बीज वितरण तक सीमित न रहकर भंडारण, गोदाम भंडारण क्षमता, एलपीजी वितरण और सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से काम कर रही हैं। 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना' के तहत सहकारी क्षेत्र में युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। इन सुधारों के कारण सहकारी क्षेत्र के लाभ में पांच गुना वृद्धि हुई है।

हालांकि, तमाम प्रयासों के बावजूद प्रदेश में सहकारिता का अपेक्षित विकास नहीं हुआ है। सहकारिता का उद्देश्य कृषकों, ग्रामीण कारीगरों, भूमिहीन मजदूरों, कमजोर वर्गों, न्यून आय वाले व्यक्तियों और बेरोजगार आदि को पर्याप्त साधन और उपयुक्त प्रौधोगिकी प्रदान कर एक अच्छा उत्पादक बनाना है। यद्यपि ग्रामीण विकास का लक्ष्य न केवल उत्पादक बढ़ाना है अपितु सभी वर्गों को पूर्ण रोजगार और उनमें विकास प्रक्रिया का न्यायसंगत आबंटन करना है। उत्तर प्रदेश जैसे विकासशील राज्य में जहां मानव शक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्रोत है और जिसका एक बड़ा हिस्सा समाज का कमजोर वर्ग है। ऐसे में प्रदेश के आर्थिक विकास की सार्थक प्रक्रिया के लिए सहकारिता का व्यापक विकास और विस्तार अपरिहार्य हो जाता है।

फिलहाल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए अनेकों सहकारी संस्थाएँ कार्य कर रही हैं; परन्तु इनके बारे में आमजन को अधिक जानकारी नहीं है या इन संस्थाओं से उसके द्वारा कार्य कराना उसके वश की बात नहीं है। परिणामस्वरूप, इन संस्थाओं का अधिकाधिक लाभ ग्रामीण क्षेत्र के कुछ सम्पन्न वर्ग के व्यक्तियों को मिला है, जिसके चलते सामान्य ग्रामीण व्यक्तियों की इन संस्थाओं के कार्यों में बहुत रूचि नहीं है। यही स्थिति कमोबेश शहरी क्षेत्रों की सहकारी समितियों के संबंध में भी देखने को मिलती है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि जन–कल्याण की भावना को ध्यान में रखकर यह विचार किया जाए कि प्रदेश में इतनी बड़ी मशीनरी, संस्थागत प्रयासों और करोड़ों रूपए के प्रावधान के बावजूद सहकारिता का कार्यक्रम सामान्य ग्रामीणों के लिए लाभप्रद क्यों नहीं हो सका? युवा पीढ़ी क्यों सहकारिता के नाम से आक्रोशित हो जाती है? इसका उत्तर शायद यही है कि प्रदेश के सहकारिता विभाग ने सहकारिता की मूल भावना को ध्यान में रखकर कार्य नहीं किया है और जो कार्य किया है, वह इतना नगण्य है कि सामान्य प्रदेशवासियों का विश्वास अर्जित करने में सक्षम नहीं है। जबकि सहकारिता और उसके उद्देश्य को देखते हुए ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जो ढाँचा एवं क्षेत्र है; वह सम्पूर्ण और समावेशी विकास की दृष्टि में सिर्फ सहकारिता का ही कार्यक्षेत्र हो सकता है।

चूंकि उत्तर प्रदेश की अधिकांश आर्थिक व्यवस्था कृषि एवं ग्रामीण विकास पर आधारित है। इसलिए जरूरी है कि ग्रामीण विकास के लिए सहकारी संस्थाओं और उनके कार्यक्षेत्र को बहुआयामी बनाया जाए। इसके लिए आवश्यक है कि सहकारी संस्थाओं को ग्राम विकास योजना निर्माण एवं उसके कार्यन्वयन का एक अभिन्न अंग माना जाए। सहकारी संस्थाओं का ग्राम पंचायत और अन्य स्थानीय विकास अभिकरणों से पूर्ण समन्वय स्थापित किया जाए। ग्रामीण विकास की अधिकाधिक आवश्यकताओं की पूर्ति का उत्तरदायित्व सहकारी समितियों को दिया जाए। ग्राम विकास योजना के लिए भी आर्थिक स्रोत के रूप में ग्रामीण सहकारी संस्थाओं को प्रमुख स्थान दिया जाए। सहकारी संस्थाएं गांवों में स्थित विकास प्रक्रिया के सभी प्रकार के अभिकरणों में समन्वय स्थापित करने का उत्तरदायित्व संभालें ताकि

आर्थिक विकास के साथ गांवों का सामाजिक–सांस्कृतिक विकास भी सुदृढ़ हो सके। ऐसे प्रयासों के परिणामस्वरूप सहकारिता प्रदेश के आर्थिक और ग्रामीण विकास में सार्थक भूमिका निर्वहन कर सकती है।

कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश में सहकारिता की प्रगति बहुत धीमी है। इसलिए, उत्तर प्रदेश में सहकारी क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देने के उपाय किए जाए। 'सहकार से समृद्धि' के तहत प्राथमिक समितियों को सशक्त बनाने और युवाओं को जोड़कर नए क्षेत्रों में विस्तार की आवश्यकता है। प्रदेश में सहकारिता की संरचनात्मक मजबूती के लिए 'एक जिला एक सहकारी बैंक' के मॉडल को अपनाया जाए ताकि जिला सहकारी बैंक और समितियां अधिक प्रभावी और आत्मनिर्भर बन सकें। सहकारी समितियों के संचालन में पेशेवर लोगों को शामिल किया जाए और सदस्यों को वित्तीय प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाए। कृषि क्षेत्र के अलावा नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, विनिर्माण जैसे नए क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं का विस्तार किया जाए और वस्तु सहकारी समितियां गठित की जाएं। किसानों को रियायती ब्याज दर पर साख की उपलब्धता सुनिश्चित कर उर्वरक, बीज के साथ कृषि उत्पादों के विपणन की बेहतर व्यवस्था की जाए। युवा पीढ़ी को सहकारी क्षेत्र में शामिल करने के लिए प्रशिक्षण और प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की जाएं। सरकारी हस्तक्षेप कम कर स्व–नियमन को प्रोत्साहित किया जाए और समय–समय पर प्रभावी मॉनिटरिंग और ऑडिट सुनिश्चित की जाए। हर ग्राम पंचायत में आवश्यकतानुसार नई डेयरी, मत्स्य, या बहुउद्देशीय सहकारी समितियों का पंजीकरण करवाया जाए। इन उपायों से प्रदेश के सहकारी क्षेत्र की साख, उत्पादकता और सदस्यों की आय में वृद्धि होगी, जिससे 2047 तक 'विकसित उत्तर प्रदेश' के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

स्रोत एवं संदर्भः

1. सिंह, अजीत कुमार (2009)। उत्तर प्रदेश इकॉनमीः पोटेंशियल, कंस्ट्रेंट्स एंड चैलेंजेज। गिरि इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, अलीगंज, लखनऊ, फरवरी 2009, पृष्ठ 1–52।
2. यादव, सुबह सिंह (2010)। सहकारिता विकास में राज्य सहकारी तथा जिला सहकारी बैंकों की भूमिका। बैंकिंग चिंतन–अनुचिंतन, वर्ष–23, अंक–1, अक्टूबर–दिसंबर, 2010, पृष्ठ–56, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई।
3. पांडे, ए एवं राकेश रमन (2012)। फाइनेंशियल इंक्लूजन इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। प्रज्ञानः जर्नल ऑफ़ सोशल एंड मैनेजमेंट साइंसेज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंक मैनेजमेंट, वॉल्यूम –41, नंबर–2, पृष्ठ 125–146।
4. मिश्र, अरविंद नारायण एवं अतुल चन्द्रा (2017)। इकॉनमी ऑफ उत्तर प्रदेश। गुटेनबर्ग बुक्स प्रकाशक, अंग्रेजी संस्करण, 2017, पृष्ठ 01–169 ।
5. मिश्र, अरविन्द नारायण एवं वेदपाल सिंह सरोहा (2019)। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था। गुटेनबर्ग बुक्स प्रकाशक, हिंदी संस्करण, अक्टूबर 2019, पृष्ठ 1–259, आईएसबीएन–13: 978–9386240569
6. पटेल, डॉ. नीलम, डॉ. तनु सेठी (2023)। सहकारिता में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी। कुरुक्षेत्र, वर्ष–69, अंक–3, पृष्ठ–17, जनवरी 2023, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली।
7. मधुसूदन, गजेन्द्र सिंह (2023)। सहकारिता से ग्रामीण समृद्धि। कुरुक्षेत्र, वर्ष–69, अंक–3, पृष्ठ–44, जनवरी 2023, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली।
8. शाह, अमित (2023)। सहकार से समृद्धि : योजना से उपलब्धि तक। योजना, वर्ष–67, अंक–7, पृष्ठ–5, जुलाई 2023, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली।
9. शाह, डॉ. मीनेश सी. (2025)। श्वेतक्रांति 2.0ः डेयरी क्षेत्र का सतत विकास मॉडल। कुरुक्षेत्र, वर्ष–71, अंक–9, पृष्ठ–45, जुलाई 2025, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली।
10. त्रिपाठी, डॉ. के. के (2025)। एक स्वर, एक लक्ष्य : सहकार से समृद्धि। कुरुक्षेत्र, वर्ष–71, अंक–9, पृष्ठ–11, जुलाई 2025, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली।
11. नीति आयोग (2025)। उत्तर प्रदेश राज्य का मैक्रो और वित्तीय परिदृश्य। एनसीएईआर–नीति स्टेट्स इकॉनमिक फोरम, स्टेट रिपोर्ट, मार्च, 2025, पृष्ठ 1–119।
12. उत्तर प्रदेश सरकार (2024)। सांख्यिकीय पत्रिका। https://updes.up.nic.in/spiderreportsmandal/initialiseMandalReport.action
13. उत्तर प्रदेश सरकार (2024)। सांख्यिकीय पत्रिका। https://updes.up.nic.in/spideradmin/Hpage1.jsp
14. भारत सरकार (2025)। उत्तर प्रदेश में सहकारी समितियां, पत्र सूचना कार्यालय, https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2201697&reg=3&lang=2
15. भारत सरकार (2025)। कार्यशील सहकारी समितियां, पत्र सूचना कार्यालय, https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2153402&reg=3&lang=2
16. उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक (यूपीसीबी)। https://www.upcbl.in/purpose.html

आलेख उद्धरित करें:	मधुसूदन, डॉ. गजेन्द्र सिंह एवं सिंह, डॉ. अमित कुमार (2026)। उत्तर प्रदेश में सहकारी क्षेत्र के प्रदर्शन का अध्ययन। बुंदेलखंड जर्नल ऑफ एकेडमिक रिसर्च (बीजेएआर), वॉल्यूम–2, अंक–1, जनवरी–मार्च, 2026, पृष्ठ 67–81। https://doi.org/10.5281/zenodo.21625748